दिनांक 15–16 फरवरी, 2018 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अध्यक्षता में राज्य के सभी निकायों के संबंधित नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों के साथ हुई विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति– उपस्थिति पंजी के अनुसार।

स्वच्छ भारत मिशन (SBM)

➢ समीक्षा में पाया गया कि 19 नगर निकाय ऐसे हैं जिनके पास 300 से कम शौचालय निर्माण का कार्य लंबित है। निदेश दिया गया कि शीघ्र की निर्माण कार्य पूर्ण किया जाय ताकि उक्त निकाय को माह मार्च 2018 तक ODF किया जा सके। स्थिति निम्न प्रकार है :–

➢ फुलवारीशरीफ, नगर परिषद का IHHL में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 83% है। बताया गया कि मोबाईल शौचालय के निर्माण हेतु निविदा प्रकाशित की गयी है, इस माह के अंत तक निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी। यहॉ कुछ स्थानों पर 10 सीटों वाला पोर्टेबल शौचालय तथा नहर के किनारे 10 सीटों वालो मोबाईल शौचालय की आपूर्ति की जानी है। शेष बचे शौचालय का निर्माण कराकर फरवरी के अंत तक ODF किया जायेगा। इसके लिए PMU(SBM) को Follow up करने का निदेश दिया गया।

➢ बाढ़, नगर परिषद का IHHL में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 155% है। यहॉ IHHL में निर्धारित लक्ष्य 660 के विरूद्ध पूर्ण एवं निमार्णधीन व्यक्तिगत शौचालय की कुल सुख्या 860 है। स्पष्ट है कि छूटे हुए घरों को डाटाबेस में जोड़ा नहीं गया है। अतएव इडिटिंग का कार्य पूर्ण करते हुए आवश्यकतानुसार शेष व्यक्तिगत शौचालय को आरंभ कराकर इस सप्ताह में प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। बताया गया कि 20 सामुदायिक शौचालय के लिए टेण्डर किया गया है तथा मोबाईल टायलेट के लिए टेण्डर करना शेष है। टेण्डर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाय। फरवरी के अंत तक ODF किया जायेगा। PMU(SBM) को Follow up करने का निदेश दिया गया।

➢ खगौल, नगर परिषद का IHHL में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 94% है। यहॉ IHHL में मात्र 20 का निर्माण कराना है जिसे शीघ्र पूर्ण किया जाय। बताया गया कि 150 सामुदायिक शौचालय के निर्धारित लक्ष्य हेतु 7 वार्ड का T/S के लिए भेजा गया है। प्रतिवेदन सुधारने का निदेश दिया गया। ODF का लक्ष्य मार्च के अंत तक।

➢ दानापुर नगर परिषद का IHHL में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 116% है। इडिटिंग कराकर निर्धारित लक्ष्य को बढ़ाने का निदेश दिया गया। 545 सामुदायिक शौचालय के निर्धारित लक्ष्य इस माह तक टेण्डर किया जायेगा। टेण्डर प्रक्रिया शीघ्र करने तथा आवश्यकतानुसार तीन मंजिला शौचालय निमार्ण करने का निदेश दिया गया। फरवरी के अंत तक ODF किया जाये।

➢ खुशरूपुर नगर परिषद का IHHL में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 94% है। बताया गया कि IHHL में मात्र 50 शौचालय का ही निर्माण कार्य शेष है, 17 ऐसे व्यक्ति है जिनके पास जमीन उपलब्ध नहीं है। दो दिनों के अन्दर सभी शेष लभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान करने तथा सामुदायिक शौचालय के कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया। मार्च के प्रथम सप्ताह तक ODF किये जाने की संभावना बतायी गयी।

➢ नासरीगंज में IHHL में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 90% है। बताया गया कि कुछ लाभुक राशि लेकर भी शौचालय का निर्माण नहीं करा रहे हैं। सामुदायिक शौचालय के लिए निविदा प्रकाशित किया गया है जिसे 1 सप्ताह में Final कर दिया लायेगा। निदेश दिया गया कि जो लाभुक राशि लेकर भी शौचालय का निर्माण नहीं करा रहे हैं उनके विरूद्ध FIR दर्ज की जाय तथा मार्च तक कार्य पूर्ण कराते हुए ODF किया जाय।

➢ पीरो का IHHL में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 87% है। बताया गया ODF 15 मार्च 2018 तक हो जायेगा।

➢ मोहनिया का IHHL में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 95% है। बताया गया ODF 10 मार्च 2018 तक हो जायेगा।

➢ जगदीशपुर का IHHL में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 108% है। डाटाबेस को edit कर बचे हुए घरों को जोड़ा जाए। बताया गया कि निर्धारित लक्ष्य 2397 में से 2000 को प्रथम किस्त तथा 300 को द्वितीय किस्त किया जा चुका है, 128 मामला आवास योजना से अच्छादित है। कार्य पूर्ण कराते हुए 15 मार्च 2018 तक ODF करा दिया जायेगा। ढाका का IHHL में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 98% है।

➢ बेतिया का IHHL में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 90% है। बताया गया सामुदायिक शौचालय के लिए अभी तक टेण्डर नहीं हुआ है। ODF 15–30 मार्च 2018 तक हो जायेगा।

➢ जनकपुर रोड का IHHL में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 73% है। बताया गया सामुदायिक शौचालय के लिए टेण्डर हो गया है। ODF 20 मार्च 2018 तक हो जायेगा।

➢ औरंगाबाद का IHHL में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 97% है। बताया गया 10 मार्च तक IHHL पूर्ण कर लिया जायेगा। 10–12 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जायेगा। ODF मार्च के अंत तक हो जायेगा।

➢ दाउदनगर का IHHL में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 95% है। बताया गया कि सामुदायिक शौचालय के लिए टेण्डर की प्रक्रिया इस माह में पूर्ण करते हुए मार्च तक ODF कर लिया जायेगा।

➢ रफिगंज का IHHL में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 99.68% है। बताया गया कि स्थान चिन्हित कर लिया गया है, सामुदायिक शौचालय के लिए दो दिनों में टेण्डर किया जायेगा 15 अप्रैल तक ODF की संभावना है। कार्य में तेजी लाते हुए मार्च के अन्त तक ODF करने का निदेश दिया गया।

➢ हिसुआ का IHHL में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 100% है। बताया गया कि सामुदायिक शौचालय के लिए टेण्डर किया गया है। मार्च तक ODF की संभावना है।

➢ व्यक्तिगत शौचालय (IHHL) निर्माण हेतु लक्ष्य के विरूद्ध 60% से भी कम उपलब्धि वाले निकायों की समीक्षा की गई। जिसमें विभिन्न नगर निकायों की लक्ष्य के विरूद्ध प्रतिशत इस प्रकार है :–

पटना (36%),	बख्तियारपुर(52%),	डालमियानगर(53%)	बिहियां(53%),	मुजफ्फरपुर(50%)
कांटी (56%),	साहेबगंज(34%)	रक्सौल(49%)	पकड़ीदयाल(36%)	मेहसी(50%)
बगहा(22%)	नरकटियागंज(40%)	लालगंज(47%)	महुआ(43%)	बैरगनिया(47%)
शिवहर(50%)	लखीसराय (40%)	गोगरीजमालपुर (55%)	शेरघाटी(51%)	टेकारी(33%)
नवीनगर(20%)	वारसलीगंज(36%)	पूर्णिया(54%)	कसबा(45%)	कटिहार(51%)
मनिहारी(54%)	अररिया(26%)	फारविसगंज(20%)	जोगबनी(44%)	किशनगंज(47%)
बहादूरगंज(58%)	छपरा(48%)	रिविलगंज(35%)	सोनपुर(52%)	दिघवारा (57%)
एकबाजार(33%)	बरौली(28%)	दरभंगा(54%)	बेनीपुर(24%)	मधुबनी(52%)
घोघरडीहा(41%)	रोसड़ा(1%)	नौगछिया(53%)	बॉका (29%)	अमरपुर(44%)
सहरसा(56%)	सिमरीबख्तियारपुर (26%)	मधेपुरा (39%),	कहलगॉव(47%)	मोतिपुर(50%)

निम्न निदेश दिया गया।

➢ पटना नगर निगम, अररिया, फारबिसगंज तथा जोगबनी की अत्यंत खराब स्थिति के लिए स्पष्टीकरण की माँग की जाय। डाटा सत्यापित कर शीघ्र कार्य आरंभ करावें। अररिया के नोडल पदाधिकारी कैम्प करके कार्य पूर्ण करावें। पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण एवं मुजफ्फरपुर में माननीय प्रधान मंत्री की यात्रा प्रस्तावित है, अतएव शीघ्र इडिटिगं एवं निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए ODF की कार्रवाई की जाय। कॉटी का भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा की जानी है, अतः कार्य में प्रगति लायी जाय। रोसड़ा की प्रगति मात्र एक प्रतिशत है, जो कार्य हुआ है उसे इन्ट्री कराते हुए प्रतिवेदन ठीक करावें।

➢ दरभंगा नगर निगम में डाटा सर्वे में संशोधन का कार्य काफी धीमा है अतः इसके लिए नगर प्रबंधक (City Manager) से स्पष्टीकरण माँगा जाय। साथ ही सभी नगर प्रबंधकों (City Manager) के कार्य की समीक्षा की जाय एवं जिन नगर प्रबंधक का कार्य संतोषजनक नहीं है उनके अनुबंध को समाप्त करने की कार्रवाई की जाय।

➢ जिन नगर निकायों में अभी तक सर्वे का कार्य चल रहा है, उसे शीघ्र पूरा कर ऑन लाईन इडिटिंग कराकर फरवरी के अंतिम सप्ताह में प्रगति प्रतिवेदन से विभाग को अवगत अवगत कराया जाय। साथ ही जिले के प्रभारी नोडल पदाधिकारी इसे Follow up करें।

➢ जिन लाभार्थी के पास जमीन नहीं है उन्हें सामुदायिक शौचालय उपलब्ध कराया जाय। सामुदायिक शौचालय हेतु जहॉ अभी तक टेण्डर प्रकाशित नहीं हुआ है वैसे नगर निकाय में शीघ्र टेण्डर प्रकाशित कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

➢ वैसे नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी जो जिला पदाधिकारी द्वारा आयोजित बैठक में भाग नहीं लेते हैं। निदेश दिया गया कि वे जिला पदाधिकारी की बैठक में अवश्य भाग लें। यदि विभागीय बैठक में भाग लेना हो तो इसकी सूचना जिला पदाधिकारी को भी दें। बताया गया कि किशनगंज के कार्यपालक पदाधिकारी अवकाश में है। वे जिला पदाधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराकर गये है या नहीं पता किया जाय।

➢ वैसे नगर निकाय जिनकी उपलब्धि व्यक्तिगत शौचालय (IHHL) निर्माण हेतु लक्ष्य के विरूद्ध 60% से भी कम है, उनसे स्पष्टीकरण की माँग की जाय।

➢ समीक्षा बैठक में बताया गया कि सामुदायिक शौचालय की स्थिति बहुत दुखद है। निदेश दिया गया कि सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु अपेक्षित जमीन के लिए शीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय। जमीन उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति में मोबाईल टॉयलेट अथवा बॉयो–डाइजेस्टर उपयोग में लाया जा सकता है।

➢ SWM –: ठोस कचड़ा प्रबंधन अन्तर्गत Land Fill Site को चिन्हित कर परियोजना बनाने का निदेश दिया गया गया। जानकारी दी गयी कि जिनके पास Land Fill Site हेतु जमीन नहीं है वे सरकारी भूमि की उपलब्धता हेतु संबंधी जिलाधिकारी को पत्र लिखा जाय अथवा निजी जमीन का क्रय/लीज किया जा सकता है। Decentralized Composting के लिए जमीन हेतु पार्क, खुला जमीन को चिन्हित करें। सर्वे कर घर से कवाड़ी इकट्ठा करने वाले की सूची बना लें साथ ही थोक कबाड़ीवाले को भी चिन्हित करें। सूखे एवं गिले कचरे का Composting मुजफ्फरपुर, बोधगया तथा मुंगेर में हो रहा है, सुविधानुसार यहॉ के मॉडल को अपनाया जाय। SBM योजना के प्रचार प्रसार हेतु IEC में रशि विमुक्त की जा रही है।

➢ SBM योजनान्तर्गत साफ–सफाई हेतु कुड़ेदान में G.P.S. System लगाने हेतु BSNL के प्रतिनिधि द्वारा एक प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसमें G.P.S. System की उपयोगिता की जानकारी दी गयी तथा बताया गया कि देश के नगर निकायों के सफाई व्यवस्था की Monitoring हेतु सफाई उपकरणों में G.P.S. System लगाने के लिए भारत सरकर द्वारा BSNL के साथ MoU हस्ताक्षर किया गया है। निदेश दिया गया कि नगर आयुक्त, बिहार शरीफ की अध्यक्षता में एक समिति बनायी जाय जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी हाजीपुर/हिलसा/गोपालगंज/दानापुर/फुलवारीशरीफ रहेंगे। समिति नगर निकायों में पूर्व से लगे G.P.S. System तथा BSNL के प्रतिनिधि द्वारा समर्पित G.P.S. System का तुलनात्मक अध्ययन कर एक प्रतिवेदन विभाग को सौंपेगी, ताकि BSNL से MoU हस्ताक्षर करने के बिन्दु पर निर्णय लिया जा सके।

➢ बख्तियारपुर, कसबा, बैरगनिया, जयनगर, लालगंज, साहेबगंज के प्रतिनिधि बैठक से अनुपस्थित है।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी)

AMRUT

AMRUT योजनान्तर्गत पार्क निर्माण एवं जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की गई, स्थिति निम्नवत् है।

पार्क निर्माण योजना :–

➢ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, हाजीपुर द्वारा बताया गया कि पार्क निर्माण/विकास हेतु जिलाधिकारी/महाप्रबंधक, रंलवे से समन्वय स्थापित कर दो पार्क के स्थल का चयन किया जा रहा है। प्रधान सचिव द्वारा अविलम्ब स्थल का चयन कर DPR समर्पित करने का निदेश दिया गया।

➢ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर द्वारा बताया गया कि पार्क निर्माण अन्तर्गत earthwork का कार्य चल रहा है। निदेश दिया गया कि Non-scheduled items के quotation हेतु प्रक्रिया पूरी की जाय।

➢ नगर प्रबंधक, नगर निगम, बेगूसराय द्वारा बताया गया कि धार्मिक न्यास परिषद, द्वारा पार्क निर्माण हेतु NOC नहीं दिया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि धार्मिक न्यास परिषद् की आपत्ति के आलोक में standing committee द्वारा Resolution पारित किया गया है। NOC प्राप्त करने हेतु पुनः प्रस्ताव समर्पित किया जा रहा है।

➢ निगम आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु चौथी बार हुई निविदा में प्रथम बार एकल निविदाकार को तकनीकी निविदा में सफल घोषित किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि इस योजना की पुनर्निविदा की जा रही है। SAAP-II से संबंधित 3 पार्को के Technical sanction के प्राक्कलन की जाँच अभियंत्रण कोषांग द्वारा की जा रही है। उनके द्वारा बताया गया पार्क की नई योजना विचाराधीन नहीं है।

➢ नगर आयुक्त, आरा नगर निगम द्वारा बताया गया कि SAAP-I एवं SAAP-II में स्वीकृत पार्क योजना का कार्य आरंभ हो चुका है। नगर आयुक्त, आरा द्वारा बताया गया कि SAAP-III के अन्तर्गत पार्क का DPR फरवरी के अन्त तक समर्पित कर दिया जाएगा।

➢ नगर आयुक्त, बिहारशरीफ के द्वारा बताया गया कि SAAP-I अन्तर्गत स्वीकृत पार्क में मिट्टी का कार्य प्रगति में है। उनके द्वारा SAAP-II एवं SAAP-III के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क हेतु site selection किए जाने की बात कही गई।

➢ नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का एकरारनामा हो चुका हैं उनके द्वारा एक और पार्क हेतु DMCH, दरभंगा द्वारा NOC दिये जाने की बात कही गई। इस प्रकार दरभंगा में दो पार्क बनने की बात कही गई।

➢ नगर आयुक्त, नगर निगम, छपरा द्वारा SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क के निर्माण में अभी तक 25 लाख खर्च होने की बात कही गयी। अन्य दो पार्क हेतु जमीन अपलब्ध नहीं होने की बात कही गई।

➢ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद द्वारा पार्क निर्माण/विकास के DPR में आवश्यक सुधार कर फरवरी के अन्त तक समर्पित करने की बात कही गयी।

➢ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बगहा द्वारा पार्क निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई।

➢ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मोतिहारी द्वारा SAAP-1 के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क के एकरारनामा हस्ताक्षरित होने के संबंध में जानकारी दी गयी। प्रधान सचिव द्वारा उन्हें SAAP-II के अन्तर्गत T/S estimate समर्पित करने का निदेश दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा SAAP-III के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु कला एवं संस्कृति विभाग से NOC प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव समर्पित करने के संबंध में जानकारी दी गई।

➢ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् सिवान द्वारा SAAP-1 के अन्तर्गत पार्क निर्माण की प्रगति के संबंध में जानकारी दी गई। SAAP-II के अन्तर्गत पार्क निर्माण नहीं होने की बात कही गई। SAAP-III के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु जमीन खोजने की जानकारी भी दी गई।

➢ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि T/S हेतु प्राक्कलन समर्पित कर दिया गया है।

➢ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज द्वारा बताया गया कि SAAP-1 के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का 90% civil work पूर्ण हो चुका है। SAAP-II एवं SAAP-III के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क हेतु रेलवे से NOC लेने की बात कही गयी।

➢ कार्यपालक पदाधिकारी, सासाराम द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत पार्क निर्माण पर अभी तक 8 लाख रू० खर्च हुआ है, SAAP-II के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित करना है तथा SAAP-III के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु स्थान उपलब्ध नहीं है।

➢ नगर आयुक्त, नगर निगम, कटिहार द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क की निविदा तीन बार आमंत्रित की गई। किन्तु सफल नहीं हो सका। उनके द्वारा बताया गया कि पुनः निविदा की कार्रवाई की जा रही है।

➢ नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णिया द्वारा अमृत योजना के SAAP-I अन्तर्गत पार्क निर्माण के संबंध में बताया गया कि अद्यतन अनुसूचित दर पर BOQ तैयार किया जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि पूर्णिया कॉलेज, पूर्णिया में पार्क निर्माण हेतु 3.48 करोड़ का estimate समर्पित किया गया है। उन्हें लगभग 1 करोड़ रूपये का प्राक्कलन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

➢ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, डेहरी द्वारा अमृत योजनान्तर्गत पार्क हेतु जमीन उपलब्ध नहीं होने की बात कही गयी।

➢ कार्यपालक पदा०, नगर परिषद, बेतिया द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का Civil work प्रगति में है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि SAAP-II के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का NOC बेतिया राज द्वारा नहीं दिया गया है। प्रधान सचिव द्वारा NOC प्राप्त करने हेतु पुनः प्रस्ताव समर्पित करने का निदेश दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा तीसरे पार्क हेतु स्थल नहीं उपलब्ध होने की जानकारी दी गयी।

➢ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् जमालपुर द्वारा अमृत योजना के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु स्थल उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी गयी।

➢ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सहरसा द्वारा बताया गया कि BOQ स्वीकृत हो चुका है। प्रधान सचिव द्वारा पुनः निदेश दिया गया कि तुरंत इस कार्य की निविदा की जाय।

➢ नगर प्रबंधक, नगर निगम, भागलपुर को SAAP-I के अन्तर्गत बनने वाले लाजपत पार्क की निविदा में भाग लेने वाले निविदाकारों से Bid validity period के extension हेतु सहमति पत्र अविलम्ब प्राप्त कर समर्पित करने का निदेश दिया गया। लाजपत पार्क का निर्माण Smart City के प्रस्ताव में है अथवा नही, इस पर भी प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

➢ प्रधान सचिव द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि AMRUT के अन्तर्गत पार्क योजना का DPR अविलम्ब समर्पित किया जाय। सिकन्दरपुर मन में पार्क निर्माण का प्रस्ताव Smaty City योजना में सम्मिलित है अथवा नहीं, इस संबंध में प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

➢ कार्यपालक पदा०, नगर परिषद्, दानापुर द्वारा बताया गया कि AMRUT के अन्तर्गत पार्क हेतु स्थल उपलब्ध नहीं है।

➢ नगर निगम, पटना के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि SAAP-III के अधीन बाँकीपुर अंचल अन्तर्गत वार्ड न०-38 में समादार पार्क का प्राक्कलन समर्पित किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि SAAP-I एवं SAAP-II (amalgamated) अन्तर्गत पाक निर्माण कार्य में कोई बाधा नहीं है। पार्क निर्माण शुरू होने पर Hindrance हटा दिया जाएगा। प्रधान सचिव महोदय द्वारा वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव को इस आशय का पत्र देते हुए कार्य अविलम्ब शुरू कराने हेतु अनुरोध करने का निदेश दिया गया।

➢ नगर आयुक्त, नगर निगम, गया द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु पुनर्निविदा में प्राप्त Technical Bid खोलकर निष्पादन हेतु मुख्यालय भेजा गया है।

➢ कार्यपालक पदा०, नगर पंचायत बोधगया को पुनः निदेश दिया गया कि AMRUT पार्क की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अविलम्ब प्राक्कलन समर्पित किया जाय।

➢ प्रधान सचिव द्वारा सभी नगर निकायों को निदेश दिया गया कि सभी पार्क योजनाओं के Non-scheduled items के कोटेशन की प्रक्रिया अविलम्ब आरम्भ की जाय ताकि पार्क योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब न हो।

➢ प्रधान सचिव द्वारा AMRUT शहरों के Credit Rating के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी। इस Meeting में ICRA के प्रतिनिधि श्री मनीष पाठक द्वारा भाग लिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद, बगहा, डेहरी, सहरसा एवं नगर आयुक्त, नगर निगम गया को निदेश दिया गया कि Credit rating से संबंधित data दिनांक 20.02.2018 तक M/S ICRA Limited को उपलब्ध करा दिया जाय ताकि उक्त नगर निकायों के Credit Rating के कार्य में और विलम्ब न हो।

नगर आयुक्त, नगर निगम मुंगेर एवं छपरा तथा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सिवान, जमालपुर को निदेश दिया गया कि M/s India Rating द्वारा माँगा गया data उन्हें अविलंब उपलब्ध कराया जाय।

Amishra

जलापूर्ति योजना :–

➢ कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि हाजीपुर जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 64.830 km के विरूद्ध अभी तक 18.447 km पाईप बिछाया गया है। प्रधान सचिव द्वारा Household Connection के कार्य में भी तेजी लाने का निदेश दिया गया।

➢ कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया कि बक्सर जलापूर्ति योजना, फेज–1 में प्रावधानित 57.563 km के विरुद्ध 20.00 km पाईप बिछाया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि Household Connection का कार्य अभी नहीं हुआ है। प्रधान सचिव द्वारा Household Connection के कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया। बक्सर नगर निकाय को DPR की कॉपी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

➢ कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि छपरा जलापूर्ति योजना फेज –1 में प्रावधानित 72.985 km के विरूद्ध अभी तक 13.707 km पाईप बिछाया गया हैं। उनके द्वारा बताया गया कि अभी Household Connection का कार्य नहीं हुआ है। प्रधान सचिव द्वारा Household Connection के कार्य में भी तेजी लाने का निदेश दिया गया।

➢ कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि बगहा जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 46.548 km के विरूद्ध अभी तक 15.00 km पाईप बिछाया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि अभी तक Household Connection नहीं हुआ है। Household Connection के कार्य में भी तेजी लाने का निदेश दिया गया।

➢ कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि जहानाबाद जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 37.002 km के विरूद्ध अभी तक 10.00 km पाईप बिछाया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि अभी तक Household Connection नहीं हुआ है। Household Connection के कार्य में भी तेजी लाने का निदेश दिया गया।

➢ कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि मोतिहारी जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 56.909 km के विरूद्ध अभी तक 5.00 km पाईप बिछाया गया है। प्रधान सचिव द्वारा BRJP को निदेश दिया गया कि PHED से मिलकर Pending issue का समाधान निकाला जाय।

➢ कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि सिवान जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 49.738 KM के विरूद्ध अभी तक 38 KM पाइप बिछाया गया है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि PHED के 7 Tower का भी उपयोग किया जाना है।

➢ नगर निकायों द्वारा बताया गया कि पाईप लाईन बिछाने के क्रम में Restoration का कार्य नहीं कराया जा रहा है। प्रधान सचिव द्वारा Restoration कार्य को अविलंब पूरा कराने का निदेश दिया गया ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

➢ BRJP द्वारा बताया गया कि AMRUT योजना अन्तर्गत बेतिया, डेहरी, सासाराम, कटिहार एवं पूर्णिया जलापूर्ति योजना फेज–1 का LoA निर्गत हो चुका है। प्रधान सचिव द्वारा अविलम्ब Agreement कर कार्य आरंभ कराने का निदेश दिया गया।

➢ यह भी निदेश दिया गया कि BRJP पदाधिकारियों एवं ULB के पदाधिकारियों के बीच नगर निकाय में नियमित साप्ताहिक बैठक सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन– संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदा०/ BRJP/अभियंत्रण कोषांग/नोडल पदा०)

Housing for All

➢ HFAPOA - सभी नगर निकाय में Plan of Action एवं Annual Implementation Plan के लिए पूरे राज्य में बनाये गये विभिन्न जिलों के कलस्टरों के परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि समीक्षा बैठक में उपस्थित हुए। समीक्षा में पाया गया कि सबके लिए आवास योजनान्तर्गत अधिकांश निगर निकाय द्वारा एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी संबंधित परामर्शी संस्था से HFAPoA एवं AIP तैयार कराकर अपने नगर निकाय के बोर्ड से पारित करा कर विभाग में नहीं भेजा गया है, जो अत्यंत ही चिंता का विषय है। उल्लेखनीय है कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्र के अनुसार HFAPoA मद में प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 31.03.2018 तक निश्चित रूप से भारत सरकार को भेजा जाना है, अन्यथा HFAPoA मद में विमुक्त राशि का समायोजन भारत सरकार द्वारा अन्य मद में कर दिया जायेगा। भारत सरकार से प्राप्त वर्णित निर्देश के आलोक में सभी नगर निकायों को निदेशित किया गया कि चयनित परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि से समन्वय स्थापित कर के अपने निकाय का HFAPoA एवं AIP तैयार कराकर अपने नगर निकाय के बोर्ड से पारित कराकर हर हाल में विभाग को दिनांक 15.03.2018 तक उपलब्ध करा दें साथ ही HFAPoA चयनित सभी लाभुकों का भारत सरकार के Portal पर MIS Entry संबंधित परामर्श संस्था के प्रतिनिधि से पूर्ण करा दें। भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि का समायोजन अन्य मदों में कर लिए जाने पर राज्य को वित्तीय क्षति होगी एवं इसकी जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी। इस आशय से संबंधित पत्र विभागीय पत्रांक 331 एवं 332 दिनांक 15.02.2018 द्वारा भी निर्गत है।

➢ HFA योजना का भौतिक एवं वित्तीय स्थिति की समीक्षा में पाया गया कि अधिकांश नगर निकाय में स्थिति काफी असंतोषजनक है। पटना, दानापुर, खगौल, रक्सौल, रोसड़ा, शिवहर एवं शेरघाटी का लाभुकों को आवासीय ईकाई निमार्ण हेतु प्रथम किस्त की विमुक्ति का प्रतिशत शून्य है। योजना की प्रगति जिन नगर निकायों में 25 % से कम है उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया। उल्लेखनीय है कि अधिकांश नगर निकायों द्वारा बार बार निदेश देने के बावजूद स्वीकृत सभी आवासीय इकाईयों में निर्माण कार्य प्रारंभ कराने अथवा किसी कारण से निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सकने वाले आवासीय इकाईयों का प्रत्यर्पण नहीं किया गया है। इस संबंध में पिछली बैठक में सभी नगर निकाय को राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के स्थानीय संस्करण में विज्ञापन प्रकाशित कर लाभुकों को सूचित करने का निदेश दिया गया था, परन्तु इसका अनुपालन भी अधिकांश नगर निकायों द्वारा नहीं किया गया है। यह स्थिति अत्यन्त चिंताजनक है। निदेश का अनुपालन नहीं करने वाले नगर निकायों को चिन्हित करके उनसे इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

➢ **उपयोगिता प्रमाण पत्र** – नगर निकायों द्वारा व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजने के कारण राशि की निकासी हेतु CTMS से विपत्र का नहीं Generation नहीं हो पा रहा है। सभी नगर निकायों को निदेश दिया गया कि सभी लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र एक सप्ताह के अन्दर निश्चित रूप से विभाग में जमा करा दें।

➢ **RAY(Rajiv Awas Yojna)** – पटना नगर निगम, दरभंगा नगर निगम, कटिहार नगर निगम तथा पूर्णिया नगर निगम में इस योजना में अभी भी काफी आवासीय इकाई में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कराया जा सका है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। सभी Non stated आवासीय इकाई में निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया। आधारभूत संरचना मद में भी सभी कार्यो को शीघ्र प्रारम्भ कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी)

DAY-NULM)

➢ **आश्रम स्थल योजना (SUH)** – शहरी निराश्रितों के लिए आश्रय स्थल योजना के अधीन नवनिर्मित आश्रय स्थल का संचालन प्रारंभ सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित नगरनिकायों के लिए तिथि का निर्धारण किया गयाः–

क्र.सं0	नगरनिकाय का नाम	निर्धारिततिथि
01.	नगर निगम (आरा/बिहारशरीफ/छपरा/दरभंगा/गया/पूर्णिया)	दिनांक– 28.02.2018
02.	मधेपुरा	दिनांक– 04.03.2018
03.	सीतामढ़ी	दिनांक– 08.03.2018
04.	नगर निगम, भागलपुर/नगरपरिषद, बक्सर,साराम, शेखपुरा, सुपौल भभुआ, अरवल, जहानाबाद बेतिया, कटिहार, लखीसराय/मधुबनी	दिनांक–15.03.2018
05.	अररिया/ किशनगंज/नवादा	दिनांक– 31.03.2018

➢ नगर निगम, मुजफ्फरपुर एवं नगर परिषद (जमुई/बांका/खगड़िया) को अप्रैल 2018 माह के अंत तक आश्रय स्थल का निर्माण कार्य संपन्न कराते हुए संचालन प्रारंभ करने का निदेश दिया गया। सहरसा नगर परिषद द्वारा अवगत कराया गया किस दर अस्पताल परिसर में एक आश्रय स्थल के निर्माण हेतु सिविल सर्जन,सहरसा द्वारा अनापत्तिप्रमाण पत्र दिया गया है जहॉ नये आश्रय स्थल की निर्माण की स्वीकृति का अनुरोध किया गया। इस संबंध में सहरसा नगर परिषद को निदेश किया गया कि पूर्व में स्वीकृत आश्रय स्थल के निर्माण संपन्न कराने के पश्चात ही अतिरिक्त आश्रय स्थल हेतु स्वीकृति दी जायेगी। नगर निकाय (औरंगाबाद/ बेगुसराय/ गोपालगंज/ मोतिहारी/ मुंगेर/ पटना/ समस्तीपुर/शिवहर एवं सिवान को दिनांक–31.03.2018 तक आश्रय स्थल का निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया। दिनांक–31.03.2018 तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में आवंटित राशि वापस करने का निदेश भी बैठक में दिया गया। नगर निगमों/परिषदों में नये/अतिरिक्त आश्रय स्थल के निर्माण हेतु स्थल चयन कर प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

➢ **शहरी फुटपाथ विक्रेताओं को सहायता (SUSV):** शहरी फुटपाथ विक्रेताओं को सहायता घटक के अधीन नगर निकायों को वेंडिंग जोन निर्माण हेतु स्थल का चयन कर प्राक्कलन इत्यादि के साथ प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

➢ **EST&P घटक :** जिन नगर निकायों में बिहार कौशल विकास मिशन अन्तर्गत एस०डी०सी० की सूची भेजी गयी है, वहाँ संस्थाओं के साथ एकरारनामा कर शीघ्र विभाग में प्रतिवेदन भेजें तथा प्रशिक्षण कार्य आरंभ कराया जाय। साथ ही, प्रशिक्षण कार्य हेतु व्यय राशि का भुगतान पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए एस०डी०सी० को एक माह के अन्दर कर दें। एस०डी०सी० को ससमय प्रशिक्षण की राशि नहीं देने पर दण्ड शुल्क का भी प्रावधान किया गया है, जिसकी सारी जवाबदेही संबंधित नगर निकायों पर होगी तथा दण्ड शुल्क की कटौती संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी के वेतन से की जायेगी।

➢ **SEP घटक :** ऋण आवेदन वित्त पोषण हेतु बैंकों में भेजा जाय। Task Force का प्रत्येक माह बैठक करके ऋण आवेदन बैठक में पारित करके ऋण आवेदनों को बैंक में भेजा जाय। साथ ही बैंकों से समन्वय स्थापित करके ऋण आवेदनों का निष्पादन कराया जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी)

कैश बुक/ बैंक खाता – विगत माह की बैठक में सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को अपने निकाय के कैश बुक/ बैंक खाता का अद्यतन प्रविष्टि कराकर अंतिम पृष्ठ की छाया प्रति विभाग में भेजने संबंधी निदेश दिया गया था। साथ ही उसकी एक प्रति मासिक समीक्षा बैठक में लाने हेतु निदेशित किया गया था। परन्तु कुछ निकायों द्वारा आज की बैठक में भी कैश बुक एवं बैंक खाता के अंतिम पृष्ठ की सत्यापित प्रति उपलब्ध नहीं कराया गया है। अगामी सप्ताह में इसे भेजना सुनिश्चित किया जाय। वित विभाग द्वारा निदेश दिया गया था कि नगर निकायों में विभिन्न योजनाओं के लिए अलग–अलग बैंकों में खाता खोलकर राशि रखा गया है जिसे समेकित कर एक ही खाता में जमा कर दिया जाय। कुछ नगर निकायों द्वारा पुराने खातों के जगह नया बैंक खाता खोल दिया गया है जबकि ऐसा नहीं करना था। इस संबंध में विभाग द्वारा पत्रांक 7863 दिनांक 01.12.17 के द्वारा दिये गए निदेश का अनुपालन किया जाय।

नली गली योजना:– बिहार राज्य के शहरी निकायों में कुल 3377 वार्ड हैं जिनमें अभी तक 2998 में इस योजना के तहत कार्य हेतु निविदा प्रकाशित किया गया है। 400 वार्डों में अभी तक निविदा प्रकाशित नहीं किया गया है। 2696 वार्ड में कार्य प्रारंभ हुआ है। अपने–अपने निकायों में वार्ड वार लंबित योजना का आकलन कर उसमें लगने वाली राशि का आकलन कर विभाग को

प्रतिवेदित किया जाय। MIS द्वारा तैयार किये गए प्रपत्र में योजना पूर्ण होने वाले वार्डों की संख्या से संबंधित कॉलम भी जोड़ा जाय।

निकायवार प्रगति की समीक्षा निम्न प्रकार हैः–

1. पटना– 75 वार्ड में से 68 वार्ड का निविदा प्रकाशित किया गया है तथा कार्य प्रारंभ है। 03 वार्ड नया जोड़ा गया है।
2. दानापुर– 40 वार्ड में से 32 वार्ड में कार्य प्रारंभ है। 8 वार्ड का आई.डी. पासवर्ड नहीं मिल पाया है। शीघ्र प्रांरभ कर दिया जाएगा।
3. मसोढ़ी– 50 वार्ड का निविदा प्रकाशित किया गया है।
4. खगौल– 27 वार्ड में से 20 वार्ड में कार्य प्रारंभ है।
5. फतुहा– 27 वार्ड में से 21 वार्ड में कार्य प्रारंभ है। ससमय प्रतिवेदन भेजा जाय।
6. नौबतपुर– 15 में से 10 में कार्य प्रारंभ हो गया है। विभागीय प्रपत्र में प्रतिवेदन भेजा जाय।
7. खुसरूपुर – 10 योजना पूर्ण हो चुका है।
8. बिहारशरीफ – 205 योजना पूर्ण हो गया है।
9. बिक्रमगंज – बोर्ड नहीं है। प्रशासक से काम लिया जाय।
10. बक्सर– 11 वार्ड निविदित एवं कार्य प्रारंभ है। 10 वार्ड पूर्ण हो चुका है।
11. टिकारी– 13 में से 8 वार्ड का निविदा प्रकाशित किया गया है। 6 में कार्य प्रारंभ है। 2 में एकल निविदा हुआ है। 05 वार्ड में 01 सप्ताह में निविदा प्रकाशित कर दिया जाएगा।
12. जहानाबाद – 33 में से 32 वार्ड का निविदा निकाल दिया गया है।
13. नवादा – 33 में से 31 वार्ड निविदा प्रकाशित किया गया है। 02 वार्ड का सर्वे कराकर कवर किया जाएगा।
14. औरंगाबाद – 33 में 28 वार्ड में कार्य प्रारंभ हो गया है। 5 वार्ड का शीघ्र निविदा निकाला जाएगा।
15. नवीनगर – प्रगति शून्य है। शीघ्र निविदा प्रकाशित किया जाएगा।
16. मरौढ़ा – 16 में से 14 वार्ड का निविदा निकाला गया है। 02 वार्ड का निविदा के लिए भेजा गया है।
17. छपरा– सभी वार्ड का निविदा निकाला जा चुका है।
18. परसा बाजार– 11 वार्ड का निविदा निकाला गया है। 08 वार्ड में कार्य पूर्ण हो चुका है।
19. सिवान– सभी वार्ड का निविदा निकाला जा चुका है एवं कार्य प्रारंभ है।
20. मैरवा – सभी निविदित।
21. मोतीपुर – 12 वार्ड का निविदा निकाला गया है।
22. साहेबगंज – 13 वार्ड का निविदा निकाला गया है। 11 वार्ड में कार्य प्रारंभ है।

23. सीतामढ़ी – 26 वार्ड का निविदा निकाला गया है। 19 वार्ड में कार्य प्रारंभ है 07 वार्ड में पुनर्निविदा निकाला जाएगा।
24. बेलसंड– सभी वार्ड का निविदा निकाला गया है। 9 वार्ड में कार्य प्रारंभ है।
25. डुमरा – सभी निविदित।
26. डमुरा – सभी वार्ड निविदित एवं कार्य प्रारंभ है।
27. जनकपुर रोड – सभी वार्ड निविदित एवं 05 वार्ड में कार्य प्रारंभ है।
28. शिवहर – 15 वार्ड में से 09 वार्ड की निकाला गया है।
29. बेतिया –39 वार्ड की निविदा प्रकाशित किया गया है।
30. नरकटियागंज – 25 में से 23 वार्ड का निविदा प्रकाशित किया गया है।
31. मोतिहारी – सभी निविदित।
32. रक्सौल – सभी निविदित एवं कार्य प्रारंभ है।
33. केसरिया – सभी निविदित।
34. मेहसी – 15 में से 09 वार्ड में कार्य प्रारंभ है।
35. हाजीपुर – 39 में से 23 वार्ड में कार्य प्रारंभ है।
36. महुआ – सभी निविदित ।
37. मोकामा – सभी निविदित।
38. बेनीपुर –29 में 15 वार्ड में निविदा प्रकाशित किया गया है। 12 वार्ड में कार्य प्रारंभ है। 14 वार्ड का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
39. जयनगर – सभी पूर्ण हो चुका है।
40. घोघरडीहा – 5 वार्ड में कार्य प्रारंभ है।
41. रोसड़ा – 18 में से 3 वार्ड का निविदा निकाला गया है। कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।
42. जमालपुर– 36 में से 33 का निविदा निकाला गया है। 21 वार्ड में कार्य प्रारंभ है।
43. हवेली खड़गपुर – सभी निविदित।
44. बरबीघा – सभी निविदित एवं 22 वार्ड में कार्य प्रारंभ है।
45. खगड़िया – 26 वार्ड में से 25 वार्ड का निविदा निकाला गया है।
46. गोगरी जमालपुर – 20 में से 16 वार्ड का निविदा निकाला गया है। शेष में संवेदक द्वारा भाग नहीं लिया जा रहा है।
47. बीहट– 30 में से 26 वार्ड का निविदा गया। एक वार्ड में कार्य प्रारंभ है।
48. कहलगॉव – सभी निविदित। 12 वार्ड में कार्य प्रारंभ हो चुका है।
49. पुर्णिया –सभी निविदित। 8 वार्ड में कार्य प्रारंभ है।
50. जोगबनी– सभी निविदित। 09 वार्ड में कार्य प्रारंभ है।
51. किशनगंज– सभी निविदित ।
52. बहादुरगंज– सभी निविदित।
53. कटिहार – सभी निविदित। 02 वार्ड रेलवे का है।